नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हेतु तहसीलदार कोटड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है तदनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जावें। बगावली वास्ते उत्तमा बीड़ी वाला के दि० 24/7/15 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी एवं
उप खण्ड मजिस्ट्रेट
कोटड़ा (उदयपुर)

सदस्य
लोक अदालत, कोटड़ा

24/7/15
बकुलाय पक्षकारान उपस्थित / पीठासीन अधिकारी राजस्व कार्य होने से प्रकरण दि. 21/8/15 को पेश हो।

18/12/15
बकुलाय पक्षकारान उपस्थित / पीठासीन अधिकारी राजस्व कार्य होने से प्रकरण दि. 8/1/16 को पेश हो।

8/1/16
बकुलाय पक्षकारान उपस्थित / पीठासीन अधिकारी राजस्व कार्य होने से प्रकरण दि. 19/2/16 को पेश हो।

19/2/16
बकुलाय पक्षकारान उपस्थित / पीठासीन अधिकारी राजस्व कार्य होने से प्रकरण दि. 1/4/16 को पेश हो।

1/4/16
बकुलाय पक्षकारान उपस्थित / पीठासीन अधिकारी राजस्व कार्य होने से प्रकरण दि. 3/5/16 को पेश हो।

1/5/16 पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर 'न्याय आपके द्वार' मुकाम गोगन्दा में प्रस्तुत तहसीलदार कोटड़ा द्वारा विभाजन प्रस्ताव तदनुसार प्रारम्भिक डिक्री की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की। पालना की रिपोर्ट अनुसार मौजा द्वारा पटवार हल्का गोगन्दा की जमाबन्दी संवत 2063 से 2066 में वर्णित आराजीयात में श्री मीना पुत्र पीपा पिता भीमा गमेती को आराजी नम्बर 1056 रकबा 0.03, 1075 रकबा 0.09, 1076 रकबा 0.12, 1080 रकबा 0.13, 1086 रकबा 0.01 एवं 1087 रकबा 0.12 का एवं प्रतिवादी गण हुंसाराम पिता भिमा जरा पिता हुंसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तामील
	1084 रकबा 1.00, 1085 रकबा 0.05 एवं 1088 रकबा 1.04 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पगावली फैसल शुमार हो संख्या से कम की जायें। निर्णय सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी कोटड़ा (जिला उदयपुर)	